अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2016–17/प्रे 29 दि: 6-4-17

संशोधन आदेश

विषयः– विद्युत चोरी प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

आदेश क्रमांक अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/प्रा.स./पत्रा/प्रे. 364 जयपुर, दिनांक 25.10.2016 (स्थायी आदेश संख्या 16/11–ए) के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.5 में आशिंक संशोधन करते हुये आदेश क्रमांक अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/प्रा.स./पत्रा/प्रे. 141 जयपुर, दिनांक 25.03.2017 (स्थायी आदेश संख्या 16/11–बी) के द्वारा विधुत उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूईंग कमेटी में सुनवाई की अधिकतम समय सीमा 30 दिवस (कृषि कनेक्शन के मामलों में 60 दिवस) के स्थान पर सभी श्रेणी के विधुत उपभोक्ताओं के लिए 90 दिवस निर्धारित की गई थी।

कतिपय इस तरह के प्रकरण भी सामने आते है जिनमें नोटिस या तो दिया नही गया अथवा दिया गया है तो उपभोक्ता को मिला नही। अधिकांश प्रकरणों में अधिक समय निकल जाता है और वीसीआर की राशि की विधुत बिल के जरिये वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उपभोक्ताओं की परेशानी के मद्देनजर इस तरह के प्रकरण में पहली बार विधुत बिल में वीसीआर जुर्माना राशि जुडने व जारी होने के 90 दिन तक प्रकरण को सुनवाई के लिये लिया जा सकेगा।

उक्त आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम्स की अनुमति से जारी किये जाते है।

6/04/2017

(एन. एल. सालवी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर